संख्या /XVII–3/14–07(11)/2014

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3, देहरादूनः दिनांक 01 ~~दिसम्बर, 2014~~ जनवरी 2015

विषयः–**उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक उपयोग में लायी जाने वाली वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए अनुमोदित त्रिवर्षीय कार्य योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–183/XVII–3/14–07(11)/2014 दिनांक 04 मार्च 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में पंजीकृत/अपंजीकृत सार्वजनिक उपयोग में लाये जाने वाले कब्रिस्तानों की चाहरदिवारी एवं सुरक्षा हेतु त्रिवर्षीय कार्य योजना के कियान्वयन में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत **समग्र रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों**, जिसमें इसाई समुदाय से सम्बन्धित कब्रिस्तानों (सेमेट्री) की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है, को संरक्षित करके सुरक्षा प्रदान करने का यह निर्णय लिया गया है कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत एवं अन्य चिन्हित कब्रिस्तानों की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेजकर उनके माध्यम से चिन्हीकरण एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव मांगे जायेंगे। योजना के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शक निर्देश (गाइड लाइन्स) का प्रस्ताव पूर्व में सम्मिलित नहीं था, जिसे अब सम्मिलित किया जा रहा है। अतः अल्पसंख्यक समुदाय के जिसमें इसाई समुदाय के कब्रिस्तान भी सम्मिलित है, सभी चिन्हित एवं पंजीकृत कब्रिस्तानों सहित प्रत्येक जनपद में उनकी संरक्षण/सुरक्षा की कार्य योजना तैयार करने एवं उनके कियान्वयन के लिये अग्रेत्तर मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाते हुए राज्य के प्रत्येक जनपद में ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित उक्त सम्पत्तियों के संरक्षण हेतु श्री राज्यपाल महोदय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति निम्नवत गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)	जिलाधिकारी	**–अध्यक्ष**
(2)	संबंधित क्षेत्रीय मा. विधायक	**–सदस्य**
(3)	मुख्य विकास अधिकारी	**–सदस्य**
(4)	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	**–सदस्य**
(5)	जिला समाज कल्याण अधिकारी (यथास्थिति)	**सदस्य सचिव**
(6)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड	**–सदस्य**
(7)	प्रत्येक जनपद में तीन गैर सरकारी सदस्य जो मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किये जायेंगे	**–सदस्य**

2. उक्त समिति राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की सुरक्षा के दृष्टिगत अपन जनपद में ऐसे पंजीकृत/चिन्हित कब्रिस्तानों, जिनकी सुरक्षा/संरक्षण किया जाना आवश्यक है उनके सम्बन्ध में प्राथमिकता निर्धारित करके योजना/प्रस्ताव तैयार कराकर लोक निर्माण के प्रभावी दरों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के आधार पर आगणन गठित

कराकर उनका चिन्हीकरण तथा भौतिक रूप से पैमाइश के उपरान्त शासनादेश संख्या–183/XVII-3/14-07(11)/2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के दृष्टिगत कार्य योजना के कियान्वयन को अन्तिम रूप देते हुए प्राथमिकता तय कर योजना की संस्तुति कर प्रस्ताव निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रस्तावित उक्त समिति की बैठक में अगर तीन सदस्य उपस्थित हो तो बैठक का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

3. समिति की बैठक 3 माह में एक बार आयोजित की जायेगी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की चाहर दिवारी, हैंड पम्प एवं जहां भूमि उपलब्ध हो, वहां टिन शेड के प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान कर यथा आवश्यक निर्माण मदें प्रस्तावों में सम्मिलित करेगी।

4. कब्रिस्तानों की सुरक्षा दीवार की ऊंचाई अधिकतम 7′ रहेगी, जिनमें 5′ दीवार व 2′ लोहे की रेलिंग की व्यवस्था एवं दीवार में 10′ की दूरी के अन्तराल में 12"X12" आर.सी.सी. कॉलम का निर्माण, जिसमें ऊचाई 7′ एवं दीवार की मोटाई 9" की रहेगी, तद्नुसार आगणन में सम्मिलित किया जायेगा।

5. समिति कब्रिस्तानों में लोगों के आने–जाने हेतु एक सामान्य लोहे के गेट की व्यवस्था पर भी विचार करेगी। सामान्यतः लोहे के गेट की ऊचाई 8′ एवं चौड़ाई 10′ होगी। समिति आवश्यकतानुसार गेट की लम्बाई अथवा चौड़ाई में 2′ बढ़ाने/घटाने पर विचार कर सकती है।

6. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण उपरान्त निर्माण कार्यो के आंगणकों की जॉच वित्त विभाग के अधीन गठित टी.ए.सी. कराये जाने के उपरान्त यथाप्रकिया वित्तीय स्वीकृतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। तद्नुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वीकृत कार्यों के निर्माण कार्य निर्धारित सीमान्तर्गत अपने स्तर से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. योजना के कियान्वयन में यदि कोई कठिनाई आती है तो प्रकरण समाधान हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

8. उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णयों का अनुपालन सभी स्तरों पर सुनिश्चित करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित कब्रिस्तानों की चाहर दीवारी के संगत प्रस्ताव समयबद्ध ढंग से शासन की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या– 78(NP)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

संख्या ०। /XVII–3/14–07(11)/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त गढवाल मण्डल पौडी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।